सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

आषाढ़ 19, बुधवार, शाके 1941 - जुलाई 10, 2019
Asadha 19, Wednesday, Saka 1941 - July 10, 2019

भाग 4 (ग)
उप-खण्ड (II)
राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी
किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, जुलाई 10, 2019

एस.ओ.44.-राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4), की धारा 4 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची IV में तुरन्त प्रभाव से इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची IV के भाग ख - औद्योगिक इनपुट्स के प्रवर्ग के अधीन माल में, विद्यमान क्रम संख्यांक 183 और उसकी प्रविष्टियां हटायी जायेंगी।

[प.12(43)वित्त/कर/2019-24]
राज्यपाल के आदेश से,

(बिष्णु चरण मल्लिक)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, जुलाई 10, 2019

एस.ओ.45.-राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4), की धारा 4 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा

किया जाना समीचीन है, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची VI में तुरन्त प्रभाव से इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची VI में, विद्यमान क्रम संख्यांक 24 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित नया क्रम संख्यांक 25 और उसकी प्रविष्टियां जोड़ी जायेंगी, अर्थात्:-

"	25.	द्रवीय या गैसीय स्थिति में प्राकृतिक गैस	10	"

[प.12(43)वित्त/कर/2019-25]
राज्यपाल के आदेश से,

(बिष्णु चरण मल्लिक)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, जुलाई 10, 2019

एस.ओ.46.-राजस्थान विद्युत् (शुल्क) अधिनियम, 1962 (1962 का अधिनियम सं. 12) की धारा 3 के परन्तुक के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, राज्य के भीतर किसी व्यक्ति द्वारा,

(i) उसके स्वयं के उपयोग के लिए स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों से; और

(ii) राजस्थान इलैक्ट्रिसिटी रेग्यूलेटरी कमीशन (कनेक्टिविटी एण्ड नेट-मीटरिंग फॉर रूफटॉप एण्ड स्मॉल सोलर ग्रिड इन्टरैक्टिव सिस्टम्स) रेग्यूलेशन्स, 2015 के अधीन स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों से,

जनित ऊर्जा के उपभोग पर उसके द्वारा संदेय विद्युत् शुल्क के संदाय से इन शर्तों के अध्यधीन रहते हुए 01.4.2018 से इसके द्वारा छूट प्रदान करती है कि संगृहीत या प्रभारित शुल्क, यदि कोई हो, राज्य सरकार को संदत्त किया जायेगा और राज्य सरकार को निक्षिप्त शुल्क प्रतिदत्त नहीं किया जायेगा।

यह अधिसूचना दिनांक 31.03.2020 तक प्रवृत्त रहेगी।

[प.12(43)वित्त/कर/2019-26]
राज्यपाल के आदेश से,

(बिष्णु चरण मल्लिक)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, जुलाई 10, 2019

एस.ओ.47.-राजस्थान विद्युत् (शुल्क) अधिनियम, 1962 (1962 का अधिनियम सं. 12) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक प.12(23)वित्त/कर/2015-219 दिनांक 09.03.2015 में तुरन्त प्रभाव से इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, विद्यमान अभिव्यक्ति "0.40 रुपये प्रति इकाई (किलो वाट प्रति घण्टा)", के स्थान पर अभिव्यक्ति "1.00 रुपये प्रति इकाई (किलो वाट प्रति घण्टा)" प्रतिस्थापित की जायेगी।

[प.12(43)वित्त/कर/2019-27]
राज्यपाल के आदेश से,

(बिष्णु चरण मल्लिक)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, जुलाई 10, 2019

एस.ओ.48.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि,-

(i) शहीद की पत्नी के पक्ष में,

(ii) यदि शहीद की पत्नी जीवित नहीं है, तब या तो अवयस्क पुत्री या अवयस्क पुत्र के पक्ष में, और

(iii) यदि शहीद अविवाहित था, तब या तो उसके पिता या माता के पक्ष में,

राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा आवासीय फ्लैट या मकान के संबंध में निष्पादित हस्तान्तरण विलेख या पट्टा विलेख या किसी व्यक्ति या प्राईवेट संस्था द्वारा आवासीय फ्लैट या मकान के संबंध में निष्पादित दान विलेख पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क का, निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी किये गये पहचान-पत्र के प्रस्तुत किये जाने पर परिहार किया जायेगा।

[प.4(17)वित्त/कर/2019-28]
राज्यपाल के आदेश से,

(बिष्णु चरण मल्लिक)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, जुलाई 10, 2019

एस.ओ.49.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक प.2(60)वित्त/कर/2012/पार्ट-13 दिनांक 31.05.2019 में इसके द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

(i) सारणी में, विद्यमान क्रम संख्यांक 4, 5, 6, 7 और 8 तथा उनकी प्रविष्टियां हटायी जायेंगी; और

(ii) विद्यमान परन्तुक हटाये जायेंगे।

[प.4(17)वित्त/कर/2019-29]
राज्यपाल के आदेश से,

(बिष्णु चरण मल्लिक)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, जुलाई 10, 2019

एस.ओ.50.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक प.2(60)वित्त/कर/2012/पार्ट-14 दिनांक 31.05.2019 में इसके द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

(i) सारणी में, विद्यमान क्रम संख्यांक 6 और 7 तथा उनकी प्रविष्टियां हटायी जायेंगी; और

(ii) विद्यमान परन्तुक हटाये जायेंगे।

[प.4(17)वित्त/कर/2019-30]
राज्यपाल के आदेश से,

(बिष्णु चरण मल्लिक)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, जुलाई 10, 2019

एस.ओ.51.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या विद्यार्थी, जो राजस्थान स्टार्ट-अप पालिसी, 2015 के अधीन सहायता प्राप्त करने का पात्र है, द्वारा स्टार्ट-अप की स्थापना के प्रयोजनों के लिए निष्पादित दस लाख रुपये तक के ऋण की लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क का परिहार किया जायेगा।

यह अधिसूचना 31.03.2020 तक प्रवृत्त रहेगी।

[प.4(17)वित्त/कर/2019-31]
राज्यपाल के आदेश से,

(बिष्णु चरण मल्लिक)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, जुलाई 10, 2019

एस.ओ.52.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक प.4(3)वित्त/कर/2017-103 दिनांक 08.03.2017 में इसके द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, विद्यमान अभिव्यक्ति "पांच लाख रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पच्चीस लाख रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी।

[प.4(17)वित्त/कर/2019-32]
राज्यपाल के आदेश से,

(बिष्णु चरण मल्लिक)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, जुलाई 10, 2019

एस.ओ.53.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक प.4(3)वित्त/कर/2017-104 दिनांक 08.03.2017 में इसके द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति "0.15 प्रतिशत" के स्थान पर अभिव्यक्ति "0.25 प्रतिशत" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) विद्यमान अभिव्यक्ति "पांच लाख रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पच्चीस लाख रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी।

[प.4(17)वित्त/कर/2019-33]
राज्यपाल के आदेश से,

(बिष्णु चरण मल्लिक)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, जुलाई 10, 2019

एस.ओ.54.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक एफ.4(6)एफ.डी./टैक्स/2016-218 दिनांक 08.03.2016 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि माता या पिता द्वारा पुत्र या पुत्री के पक्ष में पैतृक सम्पत्ति के संबंध में निष्पादित व्यवस्थापन की लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क का परिहार किया जायेगा।

[प.4(17)वित्त/कर/2019-34]
राज्यपाल के आदेश से,

(बिष्णु चरण मल्लिक)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, जुलाई 10, 2019

एस.ओ.55.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक एफ.4(6)एफ.डी./ टैक्स/2016-217 दिनांक 08.03.2016 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि पैतृक सम्पत्ति के विभाजन की लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क का परिहार किया जायेगा।

[प.4(17)वित्त/कर/2019-35]
राज्यपाल के आदेश से,

(बिष्णु चरण मल्लिक)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, जुलाई 10, 2019

एस.ओ.56.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि,-

1. स्टाम्प शुल्क पर संदेय ब्याज और शास्ति का निम्नलिखित मामलों में परिहार किया जायेगा, अर्थात्:-

   (i) इस अधिसूचना की तारीख तक कलक्टर (स्टाम्प) के समक्ष लम्बित ऐसे मामले जिनमें संदेय स्टाम्प शुल्क दिनांक 10.07.2019 से 30.09.2019 तक की कालावधि के दौरान निक्षिप्त करा दिया गया हो।

   (ii) दिनांक 10.07.2019 से 30.09.2019 की कालावधि के दौरान कलक्टर (स्टाम्प) के समक्ष फाइल किये गये ऐसे मामले जिनमें संदेय स्टाम्प शुल्क दिनांक 10.07.2019 से 30.09.2019 तक की कालावधि के दौरान निक्षिप्त करा दिया गया हो।

   (iii) इस अधिसूचना की तारीख तक कलक्टर (स्टाम्प) द्वारा न्यायनिर्णीत ऐसे मामले जिनमें संदेय स्टाम्प शुल्क दिनांक 10.07.2019 से 30.09.2019 तक की कालावधि के दौरान निक्षिप्त करा दिया गया हो।

   (iv) इस अधिसूचना की तारीख तक राजस्थान कर बोर्ड, राजस्थान उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में लम्बित ऐसे मामले जिनमें पक्षकार मामले को प्रत्याहृत कर लेता है और ऐसे

प्रत्याहरण का सबूत प्रस्तुत कर देता है और संदेय स्टाम्प शुल्क दिनांक 10.07.2019 से 30.09.2019 तक की कालावधि के दौरान निक्षिप्त करा दिया गया हो।

2. ऐसे मामलों में, जहां कलक्टर (स्टाम्प) द्वारा न्यायनिर्णीत स्टाम्प शुल्क इस अधिसूचना की तारीख से पूर्व पहले ही निक्षिप्त करा दिया गया है, वहां स्टाम्प शुल्क पर संदेय ब्याज और शास्ति की रकम में 80 प्रतिशत की कमी अनुज्ञात की जायेगी यदि ब्याज और शास्ति की शेष 20 प्रतिशत रकम दिनांक 10.07.2019 से 30.09.2019 तक की कालावधि के दौरान निक्षिप्त करा दी गयी है।

3. राजस्थान कर बोर्ड, राजस्थान उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय के समक्ष लम्बित ऐसे मामले जिनमें संदेय स्टाम्प शुल्क की कुल रकम इस अधिसूचना की तारीख से पूर्व निक्षिप्त करा दी गयी है और पक्षकार मामले को प्रत्याहृत कर लेता है और ऐसे प्रत्याहरण का सबूत प्रस्तुत कर देता है वहां स्टाम्प शुल्क पर संदेय ब्याज और शास्ति की रकम में 80 प्रतिशत की कमी अनुज्ञात की जायेगी यदि ब्याज और शास्ति की शेष 20 प्रतिशत रकम दिनांक 10.07.2019 से 30.09.2019 तक की कालावधि के दौरान निक्षिप्त करा दी गयी है।

4. राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष पुनरीक्षण फाइल करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 65 के परन्तुक के अधीन निक्षिप्त रकम स्टाम्प शुल्क के संदाय के मद्धे समायोजित की जायेगी।

5. उपर्युक्त मामलों में पहले से संदत्त स्टाम्प शुल्क या अन्य रकम प्रतिदत्त नहीं की जायेगी।

[प.4(17)वित्त/कर/2019-36]
राज्यपाल के आदेश से,

(बिष्णु चरण मल्लिक)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, जुलाई 10, 2019

एस.ओ.57.-रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का अधिनियम सं. 16) की धारा 78 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि,-

(i) शहीद की पत्नी के पक्ष में,

(ii) यदि शहीद की पत्नी जीवित नहीं है, तब या तो अवयस्क पुत्री या अवयस्क पुत्र के पक्ष में, और

(iii) यदि शहीद अविवाहित था, तब या तो उसके पिता या माता के पक्ष में,

राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा आवासीय फ्लैट या मकान के संबंध में निष्पादित हस्तान्तरण विलेख या पट्टा विलेख या किसी व्यक्ति या प्राईवेट संस्था द्वारा

आवासीय फ्लैट या मकान के संबंध में निष्पादित दान विलेख पर प्रभार्य रजिस्ट्रीकरण फीस का, निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी किये गये पहचान-पत्र के प्रस्तुत किये जाने पर परिहार किया जायेगा।

[प.4(17)वित्त/कर/2019-37]
राज्यपाल के आदेश से,

(बिष्णु चरण मल्लिक)
संयुक्त शासन सचिव

परिवहन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, जुलाई 10, 2019

एस.ओ.58.-राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11), की धारा 3 के साथ पठित धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाओं को तुरंत प्रभाव से इसके द्वारा विखण्डित करती है, अर्थात्:-

(1) अधिसूचना संख्यांक एफ.6(179)परि/कर/मु./95/1आर दिनांक 14.07.2014;
(2) अधिसूचना संख्यांक एफ.6(179)परि/टैक्स/एच.क्यू./95/3एच दिनांक 01.03.2002;
(3) अधिसूचना संख्यांक एफ.6(252)परि/कर/एचक्यू/05/4जी-163 दिनांक 09.03.2007;
(4) अधिसूचना संख्यांक एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/15 दिनांक 31.03.1997; और
(5) अधिसूचना संख्यांक एफ.6(179)परि/टैक्स/एच.क्यू./95/16सी दिनांक 24.03.2005

[प.6(179)परि/कर/मु./2019-20/1]
राज्यपाल के आदेश से,

(महेन्द्र कुमार खींची)
संयुक्त शासन सचिव

परिवहन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, जुलाई 10, 2019

एस.ओ.59.-राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ संख्यांक 2 में यथा-विनिर्दिष्ट गैर-परिवहन यानों और परिवहन यानों पर संदेय एकबारीय कर की दर, उनके प्रत्येक के सामने उक्त सारणी के स्तम्भ संख्यांक 3 में विनिर्दिष्ट दरों पर तुरंत प्रभाव से इसके द्वारा विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात्:-

सारणी

क्र.सं.	मोटर यान के वर्ग का वर्णन	एकबारीय कर की दर
1	2	3
1.	इंजन क्षमता वाले परिवहन या गैर-परिवहन यान के रूप में उपयोग किये जाने वाले दो पहिया वाले यान।	
	(क) 200 सीसी तक	यान की लागत का 8 प्रतिशत
	(ख) 200 सीसी से अधिक और 500 सीसी तक	यान की लागत का 13 प्रतिशत
	(ग) 500 सीसी से अधिक	यान की लागत का 15 प्रतिशत
2.	परिवहन या गैर-परिवहन यान के रूप में उपयोग किये जाने वाले तीन पहिया वाले यात्री यान	
	(क) तीन तक की बैठक क्षमता के साथ	रु. 3,000/-
	(ख) चार की बैठक क्षमता के साथ	रु. 6,000/-
	(ग) चार से अधिक की बैठक क्षमता के साथ	रु. 8,000/-
3.	इंजन क्षमता वाले 10 तक की बैठक क्षमता के साथ चार पहिया वाले गैर-परिवहन यान	
	(क) 800 सीसी तक	
	(i) पैट्रोल	यान की लागत का 6 प्रतिशत
	(ii) डीजल	यान की लागत का 8 प्रतिशत
	(ख) 800 सीसी से अधिक और 1200 सीसी तक	
	(i) पैट्रोल	यान की लागत का 9 प्रतिशत
	(ii) डीजल	यान की लागत का 11 प्रतिशत
	(ग) 1200 सीसी से अधिक	
	(i) पैट्रोल	यान की लागत का 10 प्रतिशत
	(ii) डीजल	यान की लागत का 12 प्रतिशत
4.	तीन पहिया से अधिक वाले टैक्सी कैब/मैक्सी कैब/संविदा गाड़ी परमिट यान और पर्यटक परमिट यान	
	(क) तेरह तक की बैठक क्षमता के साथ	यान की लागत का 11 प्रतिशत
	(ख) तेरह से अधिक और बाईस तक की बैठक क्षमता के साथ	
	(i) चेसिस के रूप में क्रय किये गये	चेसिस की लागत का 35 प्रतिशत
	(ii) पूरी बॉडी के साथ क्रय किये गये	यान की लागत का 26 प्रतिशत
5.	माल यान	
	(क) संलग्न यान	
	(i) तीन पहिया वाले यान	यान/चेसिस की लागत का 9 प्रतिशत
	(ii) 16500 कि.ग्रा. तक जी.वी.डब्ल्यू वाले तीन पहिया से अधिक वाले यान	यान/चेसिस की लागत का 10 प्रतिशत
	(ख) संलग्न यान से भिन्न	
	(i) तीन पहिया वाले यान	यान की लागत का 9 प्रतिशत

	(ii) 3000 कि.ग्रा. तक जी.वी.डब्ल्यू वाले तीन पहिया से अधिक वाले यान	यान की लागत का 10 प्रतिशत
	(iii) 3000 कि.ग्रा. से अधिक और 16500 कि.ग्रा. तक जी.वी.डब्ल्यू वाले तीन पहिया से अधिक वाले यान	यान/चेसिस की लागत का 11 प्रतिशत
6.	उपर्युक्त किसी भी प्रवर्ग के अन्तर्गत नहीं आने वाले अन्य माल यान यथा डम्पर, लोडर, कैम्पर वैन/ट्रेलर, कैशवैन, मोबाइल कैंटीन, हॉलपैक डम्पर, मोबाइल वर्कशॉप, एम्बूलैंस, फायर टेण्डर्स, स्नोर्केड् लैडर्स, ऑक्जिलरी ट्रेलर्स और फायर फाइटिंग यान, हीयर्सेज, मेल कैरियर, मोबाइल क्लिनिक, एक्स-रे वैन, लाइब्रेरी वैन आदि।	
	(क) चेसिस के रूप में क्रय किये गये	चेसिस की लागत का 10 प्रतिशत
	(ख) पूरी बॉडी के साथ क्रय किये गये	यान की लागत का 7.5 प्रतिशत
7.	प्राइवेट सेवा यान	
	(क) 13 तक की बैठक क्षमता के साथ	
	(i) चेसिस के रूप में क्रय किये गये	चेसिस की लागत का 15 प्रतिशत
	(ii) पूरी बॉडी के साथ क्रय किये गये	यान की लागत का 12 प्रतिशत
	(ख) 13 से अधिक और 22 तक की बैठक क्षमता के साथ	
	(i) चेसिस के रूप में क्रय किये गये	चेसिस की लागत का 35 प्रतिशत
	(ii) पूरी बॉडी के साथ क्रय किये गये	यान की लागत का 25 प्रतिशत
8.	7 से अधिक और 10 तक की बैठक क्षमता के साथ शैक्षिक संस्था यान	
	(i) चेसिस के रूप में क्रय किये गये	चेसिस की लागत का 15 प्रतिशत
	(ii) पूरी बॉडी के साथ क्रय किये गये	यान की लागत का 12 प्रतिशत
9.	प्राइवेट उपयोग के लिए कैम्पर वैन/ट्रेलर	
	(i) चेसिस के रूप में क्रय किये गये	चेसिस की लागत का 10 प्रतिशत
	(ii) पूरी बॉडी के साथ क्रय किये गये	यान की लागत का 7.5 प्रतिशत
10.	रिग, जेनरेटर या कम्प्रेसर जैसे उपस्कर लगे यान, क्रेन माउण्टेड यान, फोर्क लिफ्ट, टो ट्रक, ब्रेक डाउन वैन, रिकवरी यान, टावर वैगन, ट्री ट्रिमिंग यान या किसी प्रवर्ग के अन्तर्गत नहीं आने वाले कोई भी अन्य गैर-परिवहन यान	
	(i) चेसिस के रूप में क्रय किये गये	चेसिस की लागत का 10 प्रतिशत
	(ii) पूरी बॉडी के साथ क्रय किये गये	यान की लागत का 8 प्रतिशत
11.	संनिर्माण उपस्कर यान	
	(i) चेसिस के रूप में क्रय किये गये	चेसिस की लागत का 8.5 प्रतिशत
	(ii) पूरी बॉडी के साथ क्रय किये गये	यान की लागत का 7 प्रतिशत
12.	शुद्ध ऑफ-हाइवे यान	
	(i) चेसिस के रूप में क्रय किये गये	चेसिस की लागत का 7.5 प्रतिशत
	(ii) पूरी बॉडी के साथ क्रय किये गये	यान की लागत का 6 प्रतिशत
13.	माल यान के रूप में उपयोग किये जाने वाले गैर-कृषिक	ट्रेक्टर जिसमें ट्रेलर संलग्न है की

	ट्रेक्टर-ट्रेलर्स	लागत का 1 प्रतिशत

परन्तु,-

(i) ऊपर क्रम संख्यांक 1 और 3 के सामने स्तम्भ संख्यांक 2 में वर्णित गैर-परिवहन मोटर यानों के स्वामित्व के प्रत्येक अन्तरण पर रजिस्ट्रीकरण के समय या रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् संदत्त एकबारीय कर की 25 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त एकबारीय कर संदेय होगा।

(ii) ऊपर क्रम संख्यांक 9 से 11 के सामने स्तम्भ संख्यांक 2 में वर्णित गैर-परिवहन मोटर यानों के स्वामित्व के प्रत्येक अन्तरण पर रजिस्ट्रीकरण के समय या रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् संदत्त एकबारीय कर के 10 प्रतिशत की दर पर अतिरिक्त एकबारीय कर संदेय होगा।

(iii) कोई भी अतिरिक्त कर संदेय नहीं होगा,-

(क) ऐसे मामलों में जहां स्वामित्व का अंतरण मोटर यान के रजिस्ट्रीकृत स्वामी की मृत्यु के कारण मोटर यान का कब्जा उत्तरवर्ती व्यक्ति के नाम किया जा रहा हो; या

(ख) ऐसे मामलों में जहां यान के स्वामी द्वारा बीमा कम्पनी के विरुद्ध फाइल किया गया दावा तय हो जाने के कारण यान बीमा कम्पनी के नाम अन्तरित किया जा रहा हो।

(iv) राज्य में या राज्य के बाहर पहले से रजिस्ट्रीकृत यानों के मामले में या मिलिट्री डिस्पोजल यानों के मामले में, जिन पर एकबारीय कर पूर्व में संदेय नहीं था, एकबारीय कर, ऊपर यथा-संगणित कर की रकम को, रजिस्ट्रीकरण की तारीख से 15 वर्ष तक प्रति वित्तीय वर्ष या उसके किसी भाग के लिए 5 प्रतिशत की दर से घटा कर, परिनिर्धारित किया जायेगा।

(v) ऐसे मामलों में जहां गैर-परिवहन यान या परिवहन यान के लिए अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन एकबारीय कर संदत्त कर दिया गया है और तत्पश्चात् यान का प्रवर्ग/वर्णन परिवर्तित हो जाता है, तब यान का स्वामी कर के अंतर की रकम संदत्त करेगा यदि प्रवर्ग/वर्णन में परिवर्तन के कारण कर की दर बढ़ जाती है किन्तु यदि प्रवर्ग/विवरण में परिवर्तन के कारण कर की दर कम होती है तो यान के स्वामी द्वारा किसी भी कर का संदाय नहीं करना होगा।

(vi) यदि ऊपर क्रम संख्यांक 3 के सामने स्तम्भ संख्यांक 2 में यथावर्णित ऐसे यान भाड़े या पारिश्रमिक पर चलते पाये जायें तो ये यान उस वित्तीय वर्ष के लिए, जिसमें यान भाड़े या पारिश्रमिक पर चलना पाया गया था, एकबारीय कर की दर के 1/10 हिसाब से समान प्रकार के परिवहन यानों के लिए यथा-अधिसूचित कर संदत्त करने के दायी होंगे।

टिप्पण- इस अधिसूचना के अधीन संदेय कर के अतिरिक्त, इस अधिसूचना के प्रवृत्त होने के पूर्व, किसी भी कालावधि के लिए अधिनियम के अधीन यथा-संदेय कोई भी कर या शास्ति, मोटर यान का कब्जा या नियंत्रण रखने वाले स्वामी या व्यक्ति द्वारा संदत्त की जायेगी।

स्पष्टीकरण:

(i) कर की संगणना के लिए यानों की लागत:-

(क) नये यान/चेसिस के मामले में, किसी भी विनिर्माता या व्यवहारी द्वारा किसी भी प्रोत्साहन स्कीम के अधीन या अन्यथा कीमत में दिये गये किसी डिस्काउण्ट, रिबेट या

रियायत को छोड़कर, समस्त करों और उद्ग्रहणों को सम्मिलित करते हुए क्रय बिल में यथा-दर्शित एक्स-शोरूम कीमत होगी।

(ख) राज्य के बाहर रजिस्ट्रीकृत/क्रय किये गये और राजस्थान में समनुदेशन/रजिस्ट्रीकरण के लिए लाये गये यानों के मामले में, और राजस्थान में पहले से ही रजिस्ट्रीकृत ऐसे यान के लिए, जिन पर एकबारीय कर पूर्व में संदेय नहीं था, वह लागत होगी जो उस दिन, जिस दिन कर शोध्य होता है इस राज्य में समान प्रकार के यानों पर राजस्थान में प्रचलित हो।

(ग) भारत से बाहर विनिर्मित यान के मामले में, भारत के परिक्षेत्र में इसके आयात के समय पर उद्गृहीत माल-भाड़े, करों और शुल्कों को सम्मिलित करते हुए भारतीय मुद्रा में क्रय कीमत होगी।

(ii) "संनिर्माण उपस्कर यान" से केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 2 (ग क) में यथा-परिभाषित यान अभिप्रेत है। संनिर्माण उपस्कर यान द्वारा सार्वजनिक सड़क का उपयोग मुख्य ऑफ रूट कृत्य का आनुषंगिक है। यदि सार्वजनिक सड़क का वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए नियमित रूप से उपयोग हो रहा है तो संनिर्माण उपस्कर यान का परिवहन यान होना समझा जायेगा।

(iii) शुद्ध ऑफ-हाइवे यान से ऐसा मोटर यान अभिप्रेत है जो या तो संनिर्माण उपस्कर के रूप में प्रयुक्त किया गया है या किसी भी बंद परिसर, कारखाना अथवा खान में उपयोग हेतु डिजाइन किया हुआ और अनुकूलित हो और अपनी स्वयं की शक्ति के स्रोत से चलने हेतु सज्जित हो।

[प.6(179)परि/कर/मु./2019-20/2]
राज्यपाल के आदेश से,

(महेन्द्र कुमार खींची)
संयुक्त शासन सचिव

परिवहन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 10, 2019

एस.ओ.60.-राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 3 के साथ पठित धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) और खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ संख्यांक 2 में यथा-विनिर्दिष्ट राज्य में रजिस्ट्रीकृत या किसी अन्य राज्य में रजिस्ट्रीकृत और गैर-अस्थायी परमिट या अस्थायी परमिट पर चलने वाले यात्री यानों पर संदेय मोटर यान कर की दर, उनके प्रत्येक के सामने उक्त सारणी के स्तम्भ संख्यांक 3 में विनिर्दिष्ट दरों पर तुरंत प्रभाव से इसके द्वारा विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात्:-

सारणी

क्र.सं.	**मोटर यान के वर्ग का वर्णन**	**कर की दर**
1	2	3
1.	किसी फ्लीट स्वामी के स्वामित्वाधीन या नगरपालिका या नगर	प्रति माह रु. 665/- प्रति सीट

	सुधार न्यास या दोनों के क्षेत्र के भीतर या उप-नगरीय मार्गों या ग्रामीण मार्गों पर अनन्य रूप से चलने वाली मंजिली गाडियों को छोड़कर, स्कीम मार्गों (राष्ट्रीयकृत मार्गों) पर चलने वाली मंजिली गाडियां	
2.	किसी फ्लीट स्वामी के स्वामित्वाधीन या नगरपालिका या नगर सुधार न्यास या, दोनों, के क्षेत्र के भीतर या ग्रामीण मार्गों पर अनन्य रूप से चलने वाली मंजिली गाडियों को छोड़कर उपर्युक्त क्रम संख्यांक 1 के अन्तर्गत नहीं आने वाली मंजिली गाडियां	
	(i) प्रतिदिन 300 कि.मी. तक चलने वाली	प्रति माह रु. 300/- प्रति सीट
	(ii) प्रतिदिन 300 कि.मी. से अधिक चलने वाली	प्रति माह रु. 560/- प्रति सीट
3.	ग्रामीण मार्गों पर चलने वाली मंजिली गाडियां	
	(क) सेवा द्वारा एक दिन में तय किये जाने के लिए अपेक्षित दूरी 200 कि.मी. तक हो	प्रति माह रु. 130/- प्रति सीट
	(ख) सेवा द्वारा एक दिन में तय किये जाने के लिए अपेक्षित दूरी 200 कि.मी. से अधिक हो	प्रति माह रु. 140/- प्रति सीट
4.	अनन्य रूप से नगरपालिका/नगर सुधार न्यास की सीमाओं के भीतर चलने वाली मंजिली गाडियां	
	(क) 26 तक की बैठक क्षमता के साथ	प्रति वर्ष रु. 4000/-
	(ख) 26 से अधिक और 32 तक की बैठक क्षमता के साथ	प्रति वर्ष रु. 5000/-
	(ग) 32 से अधिक की बैठक क्षमता के साथ	प्रति वर्ष रु. 10000/-
5.	राजस्थान में अन्तरराज्यिक मार्गों पर चलने वाली अन्य राज्यों की मंजिली गाडियां	
	(i) प्रतिदिन 20 कि.मी. तक चलने वाली	प्रति दिन रु. 25/-
	(ii) प्रतिदिन 20 कि.मी. से अधिक किन्तु 40 कि.मी. से अनधिक चलने वाली	प्रति दिन रु. 50/-
	(iii) प्रतिदिन 40 कि.मी. से अधिक किन्तु 80 कि.मी. से अनधिक चलने वाली	प्रति दिन रु. 150/-
	(iv) प्रतिदिन 80 कि.मी. से अधिक किन्तु 120 कि.मी. से अनधिक चलने वाली	प्रति दिन रु. 225/-
	(v) प्रतिदिन 120 कि.मी. से अधिक किन्तु 160 कि.मी. से अनधिक चलने वाली	प्रति दिन रु. 300/-
	(vi) प्रतिदिन 160 कि.मी. से अधिक किन्तु 240 कि.मी. से अनधिक चलने वाली	प्रति दिन रु. 400/-
	(vii) प्रतिदिन 240 कि.मी. से अधिक किन्तु 400 कि.मी. से अनधिक चलने वाली	प्रति दिन रु. 500/-
	(viii) प्रतिदिन 400 कि.मी. से अधिक चलने वाली	प्रति दिन रु. 700/-
6.	पारस्परिक करार से परे/उसके बिना अन्तरराज्यिक मार्गों पर चलने वाले अन्य राज्यों के परिवहन यान	
	(क) 47 तक की बैठक क्षमता के साथ	प्रति दिन रु. 2.50 प्रति सीट
	(ख) 47 से अधिक की बैठक क्षमता के साथ	प्रति दिन रु. 1.50 प्रति सीट

7.	संविदा गाड़ी परमिटों (पर्यटन परमिटों से भिन्न) अस्थायी और गैर-अस्थायी दोनों परमिटों पर चलाये जा रहे यान, तथा इस राज्य के परमिट के बिना भाड़े या पारिश्रमिक पर चलाये जा रहे यात्री यान	
	(क) गैर-अस्थायी परमिटों पर चलने वाले तीन पहिया से अधिक वाले मोटर यान	
	(i) 22 से अधिक और 32 तक की बैठक क्षमता के साथ	प्रति माह रु. 1000/- प्रति सीट
	(ii) 32 से अधिक की बैठक क्षमता के साथ	प्रति माह रु. 875/- प्रति सीट
	(ख) अस्थायी परमिटों पर चलने वाले तीन पहिया वाले मोटर यान	प्रति दिन रु. 35/-
	(ग) अस्थायी परमिटों पर चलने वाले तीन पहिया से अधिक वाले मोटर यान	
	(i) 6 तक की बैठक क्षमता के साथ	प्रति दिन रु. 40/-
	(ii) 6 से अधिक और 13 तक की बैठक क्षमता के साथ	प्रति दिन रु. 80/-
	(iii) 13 से अधिक और 22 तक की बैठक क्षमता के साथ	प्रति दिन रु. 400/-
	(iv) 22 से अधिक की बैठक क्षमता के साथ	
	(क) अनन्य रूप से नगरपालिक सीमाओं में चलने वालों से भिन्न गैर-अस्थायी मंजिली गाड़ी परमिट के अन्तर्गत आने वाले मोटर यान	प्रति दिन रु. 500/-
	(ख) उनसे भिन्न जो उपर्युक्त (क) के अधीन आते हैं	प्रति दिन रु. 800/-
8.	इस राज्य के पर्यटन परमिटों पर चलने वाले यान	
	(क) तीन पहिया से अधिक वाले मोटर यान	
	(i) 22 से अधिक और 32 तक की बैठक क्षमता के साथ	प्रति माह रु. 1150/- प्रति सीट
	(ii) 32 से अधिक की बैठक क्षमता के साथ	प्रति माह रु. 885/- प्रति सीट
	(ख) तीन पहिया से अधिक वाले स्लीपर कोच	प्रति माह रु. 510/- प्रति सीट
9.	22 से अधिक की बैठक क्षमता वाले प्राइवेट सेवा यान	प्रति माह रु. 290/- प्रति सीट
10.	फ्लीट स्वामी के स्वामित्वाधीन यान	प्रति माह रु. 26250/- प्रति यान
11.	मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 88(9) के अधीन जारी किये गये परमिटों पर चलने वाले अन्य राज्यों के पर्यटन यान	
	(क) 6 तक की बैठक क्षमता के साथ	प्रति दिन रु. 160/- प्रति सीट
	(ख) 6 से अधिक और 13 तक की बैठक क्षमता के साथ	प्रति दिन रु. 210/- प्रति सीट
	(ग) 13 से अधिक और 22 तक की बैठक क्षमता के साथ	प्रति दिन रु. 875/- प्रति सीट
	(घ) 22 से अधिक और 32 तक की बैठक क्षमता के साथ	प्रति दिन रु. 1000/- प्रति सीट
	(ङ) 32 से अधिक की बैठक क्षमता के साथ	प्रति दिन रु. 1600/- प्रति सीट
12.	राजस्थान राज्य में अस्थायी परमिट पर चलने वाले राज्य के बाहर रजिस्ट्रीकृत यान	
	(क) तीन पहिया वाले यात्री यान	प्रति सप्ताह रु. 200/- प्रति सीट
	(ख) तीन पहिया से अधिक वाले यात्री यान	

	(i) 6 तक की बैठक क्षमता के साथ	प्रति दिन रु. 160/- प्रति सीट
	(ii) 6 से अधिक और 13 तक की बैठक क्षमता के साथ	प्रति दिन रु. 210/- प्रति सीट
	(iii) 13 से अधिक और 22 तक की बैठक क्षमता के साथ	प्रति दिन रु. 900/- प्रति सीट
	(iv) 22 से अधिक और 32 तक की बैठक क्षमता के साथ	प्रति दिन रु. 1000/- प्रति सीट
	(v) 32 से अधिक की बैठक क्षमता के साथ	प्रति दिन रु. 1600/- प्रति सीट
13.	स्पेयर यान (किसी भी परमिट के अन्तर्गत नहीं आने वाला यान)	प्रति माह रु. 320/- प्रति सीट

परन्तु,-

(i) क्रम संख्यांक 1 से 3 के अन्तर्गत आने वाली कोई मंजिली गाड़ी यदि मोटर यान अधिनियम, 1988 और तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन उसे अनुज्ञात ट्रिप/ट्रिपों से अन्यथा किसी ट्रिप पर चलती हुई पायी जाये तो ऐसी मंजिली गाडियों के उस प्रवर्ग, जिसके लिए उसे चलने के लिए अनुज्ञात किया गया है, के सामने विनिर्दिष्ट दर से अतिरिक्त विशेष सड़क कर संपूर्ण मास के लिए संदत्त करने की दायी होगी।

(ii) क्रम संख्यांक 1 से 3 और 7 से 9 में विनिर्दिष्ट, नये परमिट अभिप्राप्त करने वाले यानों के मामले में कर, परमिट जारी करने की तारीख से मास की शेष कालावधि के लिए आनुपातिक आधार पर अग्रिम रूप से संदेय होगा और परमिट जारी किये जाने के समय जमा कराया जायेगा।

(iii) क्रम संख्यांक 7 के स्तम्भ संख्यांक 2 में खण्ड (क) के उप-खण्ड (i) और (ii) के अन्तर्गत आने वाले और अनन्य रूप से नगरपालिका/नगर सुधार न्यास की सीमाओं के भीतर चलने वाले मोटर यान के मामले में कर अधिकतम 14000/- रुपये प्रति माह संदेय होगा।

(iv) क्रम संख्यांक 7 के स्तम्भ संख्यांक 2 में खण्ड (क) के उप-खण्ड (i) और (ii) के अन्तर्गत आने वाले और किसी औद्योगिक या वाणिज्यिक इकाई के साथ गैर-अस्थायी नियत संविदा के अधीन अनन्य रूप से चलने वाले मोटर यान के मामले में कर अधिकतम 14000/- रुपये प्रति माह संदेय होगा।

(v) यदि उपर्युक्त परन्तुक (iv) में विनिर्दिष्ट कोई यान, समुचित परमिट के बिना चलता हुआ पाया जाता है तो वह क्रम संख्यांक 1 के सामने यथा-विनिर्दिष्ट कर का दो गुना संपूर्ण माह के लिए अतिरिक्त कर संदत्त किये जाने के दायित्वाधीन होगा।

(vi) यदि 10 से अधिक की बैठक क्षमता वाला यात्री यान किसी विधिमान्य परमिट के बिना भाड़े या पारिश्रमिक पर चलता पाया जाता है तो वह यान क्रम संख्यांक 1 के सामने विनिर्दिष्ट दर पर संपूर्ण माह के लिए अतिरिक्त कर संदत्त किये जाने के दायित्वाधीन होगा।

टिप्पण- इस अधिसूचना के अधीन संदेय कर के अतिरिक्त, इस अधिसूचना के प्रवृत्त होने के पूर्व, किसी भी कालावधि के लिए अधिनियम के अधीन यथा-संदेय कोई भी कर या शास्ति, मोटर यान का कब्जा या नियंत्रण रखने वाले स्वामी या व्यक्ति द्वारा संदत्त की जायेगी।

स्पष्टीकरण: स्लीपर कोच की बैठक क्षमता की संगणना के प्रयोजन के लिए प्रत्येक बर्थ 2 सीट के बराबर मानी जायेगी।

[प.6(179)परि/कर/मु./2019-20/3]

राज्यपाल के आदेश से,

(महेन्द्र कुमार खींची)

संयुक्त शासन सचिव

परिवहन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 10, 2019

एस.ओ.61.-राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (क), खण्ड (ग) और खण्ड (गग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ संख्यांक 2 में यथा-विनिर्दिष्ट, राज्य में रजिस्ट्रीकृत माल यानों, अस्थायी परमिटों पर चल रहे अन्य राज्य के माल यानों, संनिर्माण उपस्कर यानों, अस्थायी रूप से रजिस्ट्रीकृत और राज्य में होकर जाने वाले मोटर यानों या मोटर यानों के चेसिस पर और पारस्परिक करार के अधीन जारी परमिट पर चलने वाले अन्य राज्यों के माल यानों पर संदेय मोटर यान कर की दर, उनके प्रत्येक के सामने उक्त सारणी के स्तम्भ संख्यांक 3 में विनिर्दिष्ट दरों पर इसके द्वारा तुरन्त प्रभाव से विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात्:-

सारणी

क्र.सं.	**मोटर यान के वर्ग का वर्णन**	**कर की दर**
1.	राज्य के माल यान (क) तीन पहियों से अधिक वाले यान	
	(i) 16500 कि.ग्रा. से अधिक और 25000 कि.ग्रा. तक जी.वी.डब्ल्यू.	रु. 950/- प्रति 1000 कि.ग्रा. जी.वी.डब्ल्यू. या उसके भाग के लिए प्रतिवर्ष
	(ii) 25000 कि.ग्रा. से अधिक और 45000 कि.ग्रा. तक जी.वी.डब्ल्यू.	रु. 750/- प्रति 1000 कि.ग्रा. जी.वी.डब्ल्यू. या उसके भाग के लिए प्रतिवर्ष
	(iii) 45000 कि.ग्रा. जी.वी.डब्ल्यू. से अधिक	रु. 625/- प्रति 1000 कि.ग्रा. जी.वी.डब्ल्यू. या उसके भाग के लिए प्रतिवर्ष
	(ख) उपरोक्त प्रवर्ग के अन्तर्गत नहीं आने वाले कोई अन्य परिवहन यान या यान जैसे कि डम्पर, लोडर, कैम्पर वैन/ट्रेलर, टिप्पर, कैशवैन, मोबाइल कैंटीन, हॉलपैक डम्पर, मोबाइल वर्कशॉप, एम्बूलैंस, एनीमल एम्बूलैंस, फायर टेण्डर्स, स्नोर्केड् लैडर्स, ऑक्जिलरी ट्रेलर्स और फायर फाइटिंग यान, हीयर्सेज, मेल कैरियर, मोबाइल क्लिनिक, एक्स-रे वैन, लाइब्रेरी वैन आदि	
	(i) 16500 कि.ग्रा. से अधिक और 25000 कि.ग्रा. तक जी.वी.डब्ल्यू.	रु. 950/- प्रति 1000 कि.ग्रा. जी.वी.डब्ल्यू. या उसके भाग के लिए प्रतिवर्ष
	(ii) 25000 कि.ग्रा. से अधिक और 45000 कि.ग्रा. तक जी.वी.डब्ल्यू.	रु. 750/- प्रति 1000 कि.ग्रा. जी.वी.डब्ल्यू. या उसके भाग के लिए प्रतिवर्ष
	(iii) 45000 कि.ग्रा. जी.वी.डब्ल्यू. से अधिक	रु. 625/- प्रति 1000 कि.ग्रा. जी.वी.डब्ल्यू. या उसके भाग के लिए प्रतिवर्ष
	(ग) माल यानों के रूप में उपयोग किये जाने वाले	रु. 50000/- प्रतिवर्ष

	ओवर डायमेंशन कैरियर ट्रेलर	
2.	पारस्परिक करार के अधीन जारी किये गये परमिट पर चलने वाले अन्य राज्यों के माल यान।	
	(i) 9000 कि.ग्रा. तक के भार वहन क्षमता के साथ	प्रति 1000 कि.ग्रा. या उसके भाग के लिए 500/- रु. प्रतिवर्ष
	(ii) 9000 कि.ग्रा. से अधिक भार वहन क्षमता के साथ	प्रति 1000 कि.ग्रा. या उसके भाग के लिए 800/- रु. प्रतिवर्ष
3.	राज्य में अस्थायी परमिटों पर चलने वाले अन्य राज्यों के माल यान।	
	(i) 6000 कि.ग्रा. तक जी.वी.डब्ल्यू.	30 दिन या उसके भाग के लिए प्रति 1000 कि.ग्रा. जी.वी.डब्ल्यू. या उसके भाग के लिए 200/- रु.
	(ii) 6000 कि.ग्रा. से अधिक जी.वी.डब्ल्यू.	30 दिन या उसके भाग के लिए प्रति 1000 कि.ग्रा. जी.वी.डब्ल्यू. या उसके भाग के लिए 160/- रु.
4.	इस राज्य में अस्थायी उपयोग के लिए आने वाले अन्य राज्यों के संनिर्माण उपस्कर यान	30 दिन या उसके भाग के लिए प्रति 1000 कि.ग्रा. आर.एल.डब्ल्यू. या उसके भाग के लिए 1000/- रु.
5.	अस्थायी रूप से रजिस्ट्रीकृत और राज्य में होकर जाने वाले मोटर यान या मोटर यानों के चेसिस।	
	(क) मोटर कार, ट्रैक्टर, ड्राइवर को छोड़कर 10 तक की बैठक क्षमता वाली ओमनी बस और सभी तीन पहिया वाले यान	प्रति यान 200/- रु.
	(ख) खण्ड (क) के अन्तर्गत नहीं आने वाले कोई भी अन्य मोटर यान	प्रति यान 1500/- रु.
	(ग) मोटर यानों के चेसिस	प्रति चेसिस 1000/- रु.

टिप्पण- इस अधिसूचना के अधीन संदेय कर के अतिरिक्त, इस अधिसूचना के प्रवृत्त होने के पूर्व, किसी भी कालावधि के लिए अधिनियम के अधीन यथा-संदेय कोई भी कर या शास्ति मोटर यान का कब्जा या नियंत्रण रखने वाले स्वामी या व्यक्ति द्वारा संदत्त की जायेगी।

स्पष्टीकरण: संलग्न यान को सम्मिलित करते हुए ट्रक, ट्रेलर या उसके किसी संयोजन या अनुकूलन के जी.वी.डब्ल्यू./आर.एल.डब्ल्यू. के प्रयोजन के लिए, ट्रक/होर्स ट्रेलर और साथ के किसी भी अनुकूलन के जी.वी.डब्ल्यू./आर.एल.डब्ल्यू. को उस पर कर की संगणना के लिए विचार में लिया जायेगा।

[प.6(179)परि/कर/मु./2019-20/4]
राज्यपाल के आदेश से,

(महेन्द्र कुमार खींची)
संयुक्त शासन सचिव

परिवहन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 10, 2019

एस.ओ.62.-राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 4-ङ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.6(179)परि/कर/मु./09/26क दिनांक 11.10.2017 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ संख्यांक 2 में यथा-विनिर्दिष्ट मोटर यानों के वर्ग के लिए उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन संदेय कर पर अधिभार की दर, उसके स्तम्भ संख्यांक 3 में प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट दर पर, इसके द्वारा विहित करती है, अर्थात्:-

सारणी

क्र.सं.	**मोटर यानों के वर्ग का वर्णन**	**कर की दर**
1	2	3
1.	एकबारीय कर का संदाय करने वाले यान	संदेय कर का 12.5 प्रतिशत
2.	एकबारीय कर से भिन्न कर का संदाय करने वाले यान	संदय कर का 6.25 प्रतिशत

[प.6(179)परि/कर/मु./2019-20/5]
राज्यपाल के आदेश से,

(महेन्द्र कुमार खींची)
संयुक्त शासन सचिव

परिवहन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 10, 2019

एस.ओ.63.-राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान मोटर यान कराधान नियम, 1951 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान मोटरयान कराधान (संशोधन) नियम, 2019 है।

(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 4 का संशोधन.- राजस्थान मोटरयान कराधान नियम, 1951, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 4 में,-

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 4, 4ख और 4ग" के स्थान पर अभिव्यक्ति "धारा 4" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ii) विद्यमान खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(क) यदि कर,-

(i) एकबारीय कर के रूप में संदत्त किया जाना है,-

(क) जब गैर-परिवहन यान और धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन अधिसूचित परिवहन यान क्रय किया जाता है या राज्य के भीतर लाया जाता है, तब यान के क्रय या राज्य के भीतर लाये जाने से 30 दिन के भीतर या राज्य में यान के रजिस्ट्रीकरण या समनुदेशन की तारीख को, जो भी पहले हो,; और

(ख) धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन अधिसूचित और 01.04.2007 से पूर्व रजिस्ट्रीकृत परिवहन यानों की दशा में, ऐसी अधिसूचना की तारीख से 30 दिन के भीतर;

(ii) वार्षिक रूप से संदत्त किया जाना है तो, प्रत्येक वर्ष की 30 अप्रेल को या उससे पूर्व संदत्त किया जायेगा;

(iii) अर्द्धवार्षिक रूप से संदत्त किया जाना है तो, प्रत्येक वर्ष की 15 अक्टूबर और 15 अप्रेल को या उससे पूर्व संदत्त किया जायेगा;

(iv) त्रैमासिक रूप से संदत्त किया जाना है तो, प्रत्येक वर्ष की 10 अप्रेल, 10 जुलाई, 10 अक्टूबर और 10 जनवरी को या उससे पूर्व संदत्त किया जायेगा; और

(v) मासिक रूप से संदत्त किया जाना है तो, प्रत्येक मास के सातवें दिन को या उससे पूर्व संदत्त किया जायेगा;

परन्तु फ्लीट स्वामी की दशा में, प्रत्येक मास के अंतिम दिन या उससे पूर्व संदत्त किया जायेगा।";

(iii) विद्यमान खण्ड (कक) और खण्ड (ककक) हटाये जायेंगे;

(iv) विद्यमान खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(ख) अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (क), (ग), (गग) और (घ) के अधीन कर:-

(i) व्यवहारियों/विनिर्माताओं/बॉडी निर्माताओं/वित्तपोषकों के कब्जे वाले यानों के संबंध में वार्षिक रूप से संदत्त किया जायेगा;

(ii) कुल मिलाकर 22 से अधिक की बैठक क्षमता वाली चौपहिया संविदा गाडियों के संबंध में मासिक रूप से संदत्त किया जायेगा। तथापि, कर, दो या अधिक मास के लिए अग्रिम रूप से संदत्त किया जा सकेगा;

(iii) अनन्य रूप से नगरपालिक सीमाओं के भीतर चलने वाली मंजिली गाडियों के संबंध में वार्षिक रूप से संदत्त किया जायेगा;

(iv) अनन्य रूप से नगरपालिक सीमाओं के भीतर चलने वाली मंजिली गाडियों से भिन्न मंजिली गाडियों जिनमें फ्लीट स्वामी और अन्तरराज्यिक मार्गों पर चलने वाले अन्य राज्यों के यान सम्मिलित हैं, के संबंध में मासिक रूप से संदत्त किया जायेगा। तथापि, कर, दो या अधिक मासों के लिए अग्रिम रूप से संदत्त किया जा सकेगा;

(v) मंजिली गाडियों को छोड़कर अन्य राज्यों के ऐसे यान, जो अस्थायी परमिट पर या तो केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 83 के अधीन या मोटर यान (पर्यटक परिवहन आपरेटरों के लिए अखिल भारतीय परमिट) नियम, 1993 के अधीन जारी किये गये किसी विधिमान्य प्राधिकार से अन्य राज्यों के परिवहन प्राधिकारियों द्वारा

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उप-धारा (9) के अधीन मंजूर किये गये किसी पर्यटक परमिट पर चल रहे हों, राजस्थान राज्य में प्रवेश के समय या उससे पूर्व कर की संपूर्ण रकम संदत्त करेंगे। इस उप-खण्ड के अधीन संदेय कर इलेक्ट्रॉनिक रूप से या कर संग्रहण केन्द्र पर संदत्त किया जायेगा किन्तु ऐसी तारीख से जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाये, कर राज्य में प्रवेश करने से पूर्व केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संदत्त किया जायेगा;

(vi) इस राज्य के प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये अस्थायी परमिट पर चलने वाले यानों के संबंध में परमिट जारी करने के समय, राजस्थान राज्य में उपयोग की उस संपूर्ण कालावधि, जिनके लिए परमिट अभिप्राप्त किया गया है, के लिए संदत्त किया जायेगा;

(vii) अन्य राज्यों द्वारा जारी और इस राज्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित अस्थायी परमिट पर चलने वाली मंजिली गाडियों के संबंध में, प्रतिहस्ताक्षर करते समय संपूर्ण कालावधि के लिए अग्रिम रूप में संदत्त किया जायेगा;

(viii) पारस्परिकता के अधीन और इस राज्य के प्राधिकारियों द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित अन्य राज्यों के मालयानों के संबंध में राज्य में प्रवेश के समय पर संग्रहण केन्द्र/जांच चौकी पर वार्षिक रूप से संदत्त किया जायेगा;

(ix) किसी भी गैर-अस्थायी परमिट के अन्तर्गत नहीं आने वाले यात्री यानों के संबंध में मासिक रूप से संदत्त किया जायेगा;

(x) ऊपर उल्लिखित से भिन्न परिवहन यानों के संबंध में वार्षिक रूप से संदत्त किया जायेगा:

परन्तु ऐसे माल यानों, जो धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन अधिसूचित से भिन्न हों, के लिए अगले वित्तीय वर्ष के लिए संदेय कर चालू वित्तीय वर्ष के मार्च मास की 15 तारीख को या उसके पूर्व संदत्त किया जायेगा;

(xi) किसी अस्थायी कालावधि के लिए राजस्थान में प्रवेश करने वाले अन्य राज्यों के संनिर्माण उपस्कर यान या राज्य से होकर गुजरने वाले नये चेसिस/यान या अस्थायी कालावधि के लिए राजस्थान में प्रवेश करने वाले और अस्थायी परमिट पर चलने वाले अन्य राज्यों के माल यानों के संबंध में राज्य में प्रवेश के समय या उसके पूर्व अग्रिम रूप से संदत्त किया जायेगा। इस उप-खण्ड के अधीन संदेय कर इलेक्ट्रॉनिक रूप से या कर संग्रहण केन्द्र पर संदत्त किया जायेगा, किन्तु ऐसी तारीख से जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाये, कर राज्य में प्रवेश करने से पूर्व केवल इलेक्ट्रोनिक माध्यम से ही संदत्त किया जायेगा;

(v) विद्यमान खण्ड (घ) हटाया जायेगा;

(vi) खण्ड (ङ) में,-

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 4ख के अधीन" के स्थान पर अभिव्यक्ति "धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) चतुर्थ परन्तुक में विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 4 और 4ख के अधीन" के स्थान पर अभिव्यक्ति "धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(vii) खण्ड (च) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "अधिसूचना सं. एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/6 दिनांक 31 मार्च, 1997 द्वारा या किसी फ्लीट स्वामी के स्वामित्वाधीन से भिन्न राज्य की मंजिली गाडियों पर विशेष सड़क कर की दर से संबंधित विद्यमान अधिसूचना के अधीन यथाविनिर्दिष्ट, अधिनियम की धारा 4ख के अधीन संदेय कर उस कालावाधि के लिए संदेय नहीं होगा" के स्थान पर अभिव्यक्ति "किसी फ्लीट स्वामी के स्वामित्वाधीन से भिन्न राज्य की मंजिली गाडियों पर धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन संदेय कर उस कालावाधि के लिए संदेय नहीं होगा" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(viii) विद्यमान खण्ड (छ) हटाया जायेगा।

3. नियम 6 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 6 के उप-नियम (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "एकमुश्त कर के मामले में प्ररूप एम.टी.ए.ए.ए. में" हटायी जायेगी।

4. नियम 13 का प्रतिस्थापन.- उक्त नियमों के विद्यमान नियम 13 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"13. परिवहन यान को कर की कम/अधिक रकम के दायित्वाधीन बनाने वाला परिवर्तन.- जब कभी किसी परिवहन यान में इस प्रकार परिवर्तन किया जाये कि उक्त परिवर्तन के पश्चात् वह उस दर से जिस दर पर कर संदत्त किया जा चुका है, कम/अधिक दर पर, कर के दायित्वाधीन हो जाए, तो यान का स्वामी प्ररूप एम.टी.ए. में एक घोषणा करेगा और ऐसे यान के कर की पुन: संगणना के लिए कराधान अधिकारी को आवेदन करेगा। यदि कराधान अधिकारी का समाधान हो जाये कि यान में इस प्रकार परिवर्तन किया गया है, जिससे वह जो कर संदत्त कर दिया गया उससे कम/अधिक कर की रकम के लिए दायी हो गया है तो वह उक्त तारीख से समुचित कम/अधिक कर की रकम पर यान का कर निर्धारण करेगा और उसका स्वामी ऐसी तारीख से इस प्रकार कम/अधिक किया गया कर संदत्त करेगा।"

5. नियम 15 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 15 के उप-नियम (1) में,-

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति "जब धारा 4(1)(ख)/4(1)(ङ) के अधीन एकबारीय कर और धारा 4ग के अधीन एकमुश्त कर", के स्थान पर अभिव्यक्ति "जब धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन एकबारीय कर" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) विद्यमान अभिव्यक्ति "जिसने धारा 4(1)(ङ) के अधीन एकबारीय कर या धारा 4ग के अधीन एकमुश्त कर" के स्थान पर अभिव्यक्ति "जिसने धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन एकबारीय कर" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(iii) खण्ड (i) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "/एकमुश्त कर" हटायी जायेगी; और

(iv) विद्यमान परन्तुक हटाया जायेगा।

6. नियम 25 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 25 के उप-नियम (3) के प्रथम परन्तुक में, विद्यमान अभिव्यक्ति "और विशेष सड़क कर, जो देय हो गया है", के स्थान पर अभिव्यक्ति ", जो देय हो गया है," प्रतिस्थापित की जायेगी।

7. नियम 26-क का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 26-क में,-

(i) शीर्षक में, विद्यमान अभिव्यक्ति ", एकमुश्त कर" हटायी जायेगी;

(ii) उप-नियम (1) में,-

(क) विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 4(1)(ख)/4(1)(ङ) के अधीन एकबारीय कर और धारा 4ग के अधीन एकमुश्त कर", के स्थान पर अभिव्यक्ति "धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन एकबारीय कर" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ख) विद्यमान अभिव्यक्ति "या इसके रजिस्ट्रीकरण की तारीख से पांच वर्ष के भीतर-भीतर गैर-परिवहन यान से परिवहन यान में संपरिवर्तित कर दिया गया है" हटायी जायेगी; और

(iii) उप-नियम (2) में,-

(क) विद्यमान अभिव्यक्ति "या उसे उसके रजिस्ट्रीकरण की तारीख से पांच वर्ष के भीतर-भीतर परिवहन यान से गैर-परिवहन यान में संपरिवर्तित कर दिया गया है" हटायी जायेगी; और

(ख) विद्यमान अभिव्यक्ति "या परिवहन यान से गैर-परिवहन यान में संपरिवर्तित किया गया था" हटायी जायेगी।

8. नियम 26-ख का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 26-ख के उप-नियम (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "और एकमुश्त कर" हटायी जायेगी।

9. नियम 41 का प्रतिस्थापन.- उक्त नियमों के विद्यमान नियम 41 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"**41. सीटों की संगणना.-** जहां कर की संगणना सीटों की संख्या के आधार पर की जानी है वहां अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन संदेय कर की दशा में ड्राइवर की सीट अपवर्जित की जायेगी।"

10. नियम 42 का प्रतिस्थापन.- उक्त नियमों के विद्यमान नियम 42 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"**42. कर की संगणना के प्रयोजन के लिए कीमत.-** यान/चेसिस की कीमत,-

(क) नये यान/चेसिस के मामले में, किसी विनिर्माता या व्यवहारी द्वारा किसी प्रोत्साहन स्कीम के अधीन या अन्यथा कीमत में दिये गये किसी डिस्काउण्ट, रिबेट या रियायत को अपवर्जित करते हुए, करों और उद्ग्रहणों के तत्वों को सम्मिलित करते हुए क्रय बिल में यथा दर्शित क्रय कीमत होगी,

(ख) पुराने/उपयोग किये गये यान/चेसिस के मामले में कीमत, नये यान के समान प्रकार की वर्तमान कीमत पर निर्धारित की गयी कीमत के बराबर होगी:

परन्तु राज्य के बाहर क्रय किये गये या रजिस्ट्रीकृत यान या मिलीटरी डिस्पोजल वाले यानों के मामले में कीमत इस राज्य में समान प्रकार के यानों के लिए, तारीख जिसको कि कर शोध्य है, को लागू कीमत होगी।

स्पष्टीकरण: (i) जब इन नियमों के नियम 2 के उप-नियम (1) के खण्ड (ढ़) के अधीन एक से अधिक यान/चेसिस के साथ समानता साबित हो जाये, तब सबसे कम लागत वाले यान/चेसिस को कर की संगणना के प्रयोजन के लिए लिया जायेगा।

(ii) जहां तक संभव हो, उसी विनिर्माता के यान/चेसिस से समानताएं निकाली जायेंगी।"

[प.6(179)परि/कर/मु./2019-20/6]
राज्यपाल के आदेश से,

(महेन्द्र कुमार खींची)
संयुक्त शासन सचिव

परिवहन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, जुलाई 10, 2019

एस.ओ.64.-राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा तुरंत प्रभाव से अधिसूचित करती है कि राज्य में रजिस्ट्रीकृत या समनुदिष्ट निम्नलिखित वर्गों के परिवहन यानों के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन कर के स्थान पर धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन एकबारीय कर संदेय होगा, अर्थात्:-

(1) 16500 कि.ग्रा. तक सकल भार वाले तीन पहियों और तीन पहियों से अधिक वाले माल यानों के समस्त प्रवर्ग;

(2) कुल मिलाकर 22 तक की बैठक क्षमता वाले संविदा गाड़ी यानों के समस्त प्रवर्ग;

(3) कुल मिलाकर 22 तक की बैठक क्षमता वाले पर्यटक परमिट यानों के समस्त प्रवर्ग; और

(4) कुल मिलाकर 22 तक की बैठक क्षमता वाले सभी प्राइवेट सेवा यान।

[प.6(179)परि/कर/मु./2019-20/7]
राज्यपाल के आदेश से,

(महेन्द्र कुमार खींची)
संयुक्त शासन सचिव

परिवहन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, जुलाई 10, 2019

एस.ओ.65.-राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 4-घ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक प.6(179)परि/कर/मु./ 95/24ई दिनांक 11.10.2017 में इसके द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी के क्रम संख्यांक 2 में,

(i) स्तम्भ संख्यांक 2 के खण्ड (ख) के उप-खण्ड (ii) की मद संख्यांक (क) के सामने स्तम्भ संख्यांक 4 में विद्यमान अंक "2000" के स्थान पर अंक "4000" प्रतिस्थापित किया जायेगा; और

(ii) स्तम्भ संख्यांक 2 के खण्ड (ख) के उप-खण्ड (ii) की मद संख्यांक (ख) के सामने स्तम्भ संख्यांक 4 में विद्यमान अंक "2000" के स्थान पर अंक "5000" प्रतिस्थापित किया जायेगा।

[प.6(179)परि/कर/मु./2019-20/24एफ]
राज्यपाल के आदेश से,

(महेन्द्र कुमार खींची)
संयुक्त शासन सचिव

परिवहन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, जुलाई 10, 2019

एस.ओ.66.-राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, राज्य में दिनांक 10.07.2019 को या उसके पश्चात् रजिस्ट्रीकृत ऐसे यान, जो केवल लिक्विफाइड पैट्रोलियम गैस (एल.पी.जी.), कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस (सी.एन.जी.) या सौर ऊर्जा द्वारा चालित हैं और यान विनिर्माताओं द्वारा इसी रूप में मूल रूप से विनिर्मित हैं, पर उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन संदेय कर के 50 प्रतिशत की, इसके द्वारा छूट देती है।

[प.6(179)परि/कर/मु./2019-20/8]
राज्यपाल के आदेश से,

(महेन्द्र कुमार खींची)
संयुक्त शासन सचिव